न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

उपस्थितः–श्री पंकज कुमार– II, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3652)

UPHP120001962003

पंजीकरण सं०-162/2003

वाद सं०–162/2003

मुनेश कुमार आदि बनाम छविपाल आदि

दिनांकः–20.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली काफी समय से वास्ते सुनवाई अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 12 हेतु नियत है। वादीगण विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहे हैं, प्रतिवादीगण लगातार उपस्थित आ रहे हैं। वादीगण की ओर से कोई मौका प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज भी न्यायालय में बार–बार पुकार करायी गयी, परन्तु वादीगण उपस्थित नहीं आये। अतः ऐसी अवस्था में वादी का वाद वादीगण की अनुपस्थिति के कारण आदेश 09 नियम 08 सी.पी.सी. में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद, वादीगण की अनुपस्थिति के कारण आदेश 09 नियम 08 सी.पी.सी. में निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात् दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ. कोड–UP3652)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे.एम.
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।